UPGK010014422026

न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश

(एस०सी०/एस०टी० एक्ट), गोरखपुर।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–716/2026

ईश्वर कुमार मद्धेशिया पुत्र सुदामा मद्धेशिया उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी ग्राम–सोनराईच, थाना पिपराईच, जनपद गोरखपुर।

.....**आवेदक/अभियुक्त**

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....**विपक्षी**

मु०अ०सं०–1010/2024
अंतर्गत धारा–115(2),352,351(2)351(3) बी०एन०एस०
व 3(1) द,ध, 3(2) (va) SC/ST Act
थाना–पिपराईच, जनपद–गोरखपुर।

दिनांक 18–03–2026

आवेदक/अभियुक्त **ईश्वर कुमार मद्धेशिया** की ओर से प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जमानत प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न शपथपत्र स्वयं द्वारा इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। इसके अलावा अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय में न तो लंबित है, न दाखिल है और न ही निस्तारित है।

अधिनियम की धारा–15(ए)(5) एस0सी0/एस0टी0एक्ट के अनुपालन में वादी मुकदमा/पीड़ित पक्ष पर नोटिस का तामीला प्राप्त है, परन्तु वह व्यक्तिगत रुप से उपस्थित नहीं है।

अभियोजन कथानक सक्षेप में इस प्रकार है कि वादी मुकदमा साकिल कुमार पुत्र बलीराम प्रसाद साकिन मौजा घोड़ादेउर थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर द्वारा दिनांक 21.12.2024 को थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि दिनांक 19.12.2024 को समय सुबह 11 बजे जैसे ही विजय चौक पिपराईच आटो से उतरा तो ईश्वर मद्धेशिया, सच्चितानन्द शर्मा उर्फ गोलू, विकास चौहान व अन्य साथियों के साथ पुरानी रंजिश वस घेर कर हमको जबरिया मोटर बाइक पर बैठा कर बड़े गांव में सिवान में टेबुल के पास ले जाकर जाति सूचक शब्दो की गाली गलौज, जान से मारने की धमकी देते हुये मुझे लात मुक्का व बेल्ट से बुरी तरह मारने

लगे। हम किसी तरह अपनी जान बचा कर भागे उक्त जान माल की धमकी दिये है कि थाने जाओगे तो जान से मार देंगे।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त पूर्णतया निर्दोष है। अभियोजन पक्ष द्वारा लगाया गया अभियोग असत्य एवं निराधार है। प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई भी कृत्य नही किया गया है जैसा कि अभियोजन पक्ष द्वारा कहा जाता है। कथित घटना का कोई भी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष साक्षी नामित नहीं किया गया है जिसके द्वारा कथित घटना कारित होते हुये देखा गया हो। वादी मुकदमा द्वारा प्रार्थी के विरुद्ध यह आरोप नही लगाया गया है कि प्रार्थी द्वारा वादी मुकदमा को मारा पीटा गया है तथा गाली गुप्ता व जान से मारने की धमकी दी गयी है। इस प्रकार प्रार्थी के विरुद्ध धारा–115(2),352,351(2),351(3) भा०न्या०सं० व धारा 3(1) द,ध, 3(2) (va) SC/ST Act का कोई अपराध गठित नहीं होता है। प्रार्थी के विरूद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 115(2),352,351(2),351(3) भा०न्या०सं० व धारा 3(1) द,ध, 3(2) (va) SC/ST Act में अधिकतम दण्ड की मात्रा 7 वर्ष से कम की है। सात वर्ष तक की सजाओ के अपराध में जमानत प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि सिद्धान्त सत्येन्द्र कुमार अन्टिल बनाम सी०बी०आई० में यह दिशा निर्देश जारी किया गया है कि सात वर्ष तक की सजाओ के अपराध में आरोपी द्वारा हाजिर अदालत आकर जमानत की याचना करता है तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाय। प्रार्थी के विरूद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा धारा 115(2), 352,351 (2), (3) भा०न्या०सं० में अधिकतम दण्ड की मात्रा 7 वर्ष से कम की है इसके बावजूद भी विवेचक महोदय द्वारा वादी मुकदमा के प्रभाव में आकर प्रार्थी की गिरफ्तारी करने हेतु निरन्तर दबिश दे रही है। प्रार्थी का विगत कोई आपराधिक इतिहास नही रहा है प्रार्थी जमानत देने को तैयार है। उक्त समस्त आधारों पर आवेदक/अभियुक्त पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है, आवेदक/अभियुक्त को यदि जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत का दुरूपयोग करेगा। अतः जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान विशेष लोक अभियोजक के तर्कों को सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

जमानत प्रार्थना पत्र के साथ सम्बन्धित थाना पुलिस द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रपत्रों एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन के अनुसार आवेदक/अभियुक्त पर पुरानी रंजीश को लेकर अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा को जाति सूचक शब्दो से अपमानित करते हुए गाली गुप्ता देने तथा जान से मारने की धमकी देते हुये लात मुक्का व बेल्ट से मारने पीटने का आरोप लगाया गया है। जमानत प्रार्थना पत्र के साथ उपलब्ध चिकित्सीय रिपोर्ट में डाक्टर द्वारा चोटहिल को आई सभी चोटें साधारण प्रकृति की कठोर कुन्द से कारित बताया गया है। आवेदक/अभियुक्त अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया है तथा वह न्यायालय में आत्मसमर्पण कर अभिरक्षा में है, जिसके दुरूपयोग के संबंध में कोई तथ्य अभियोजन द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। पुलिस द्वारा अभियुक्त जान से मारने की धमकी

देते हुये मुझे लात मुक्का व बेल्ट गण के विरूद्ध आरोप–पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है, जिस पर न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जा चुका है। अभियोजन की ओर से अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **सत्येन्द्र कुमार अंतिल प्रति केन्द्रीय ब्यूरो आफ इन्वेस्टीगेशन व अन्य** (2021) 10 **एस.सी.सी. 773** तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा **Application u/s** 528 **BNSS No**. 6400 **of** 2025 **Smt**. **Bacchi Devi vs**. **State of U.P**. **and other** [**Netural Citation No**. 2025: **AHC**:136034] में दिये गये दिशा निर्देशों के आधार पर तथा उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में गुण–दोष पर कोई टिप्पणी किये बिना प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **ईश्वर कुमार मद्धेशिया** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र (**संख्या–716/2026**) स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा मु0 50,000/– रूपये का निजी बंधपत्र व संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर समान धनराशि की दो प्रतिभूं तथा इस आशय का अंडरटेकिंग कि वह भविष्य में प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत रूप से या जरिये अधिवक्ता उपस्थित होता रहेगा, विचारण में सहयोग करेगा एवं गवाह के आने पर कोई स्थगन नहीं लेगा, दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाये।

(प्रवीण कुमार सिंह–द्वितीय)
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(एस०सी०/एस०टी० एक्ट), गोरखपुर
I.D. No.–UP6051

Digitally signed by PRAVEEN KUMAR SINGH
Date: 2026.03.18 16:58:14 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court